

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 43/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 10.09.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. राजकमल इंडस्ट्रियल प्रा. लि., 401, देव अर्क कॉर्पोरेट, क्रोमा के ऊपर, एस जी हाइवे, अहमदाबाद, गुजरात-380015 और 8 अन्य.	फ़ा सं. DRI/AZU/ CI/Enq-12 (Int- 02/2018)/2018-Past- II दिनांक 08.07.2020, दिनांक 19.08.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात-II), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, मुंदरा. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर, गुजरात.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.

2.	<p>मै. पारिजात इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्रा. लिं., M-77, M ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, न्यू दिल्ली- 110048 और 2 अन्य.</p>	<p>फ़ा सं. DRI/AZU/ CI/ENQ-06(INT-17/ 2018)/2019 दिनांक 28.07.2020, दिनांक 20.08.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क -IV, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-निर्यात, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-निर्यात, न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली.</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, मुँदरा पोर्ट एवं एसईज़ेड, मुँदरा.</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), कस्टम हाउस, कोलकाता.</p> <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो तुगल्कबाद, न्यू दिल्ली.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.</p>
3.	<p>मै. यूनीक ट्रेडर्स, सं. 140, ओल्ड थरगुपेट, बेंगलोर-560053 और श्री आसिफ थारा पावर ऑफ एटॉर्नी धारक, मै. यूनीक ट्रेडर्स, सं. 140, ओल्ड थरगुपेट, बेंगलोर-560053.</p>	<p>फ़ा सं. DRI/CZU/ VIII/26/208/2019 दिनांक 13.08.2020.</p>	<p>आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.</p>
4.	<p>मै. फिरदौस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, (प्रोपराइटर: श्री मोहम्मद शबीर VII/348A,</p>	<p>फ़ा सं. DRI/CZU/ VIII/48/Enq-1/ Int- 10/2019 दिनांक 10.08.2020.</p>	<p>आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p>	

	कुमारनेल्लूर वददाकंचेरी त्रिचूर केरला-680590	पीओ,			
5.	मै. सदर्न अरेकानट प्राइवेट लिमिटेड, 49/65, नयागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001 और श्री ऋषि कुमार गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय श्री जगन नाथ गुप्ता, 14/102A, सिविल लाइंस कानपुर उत्तर प्रदेश -208001.		DRI/CZU/VIII/48/Enq -1/Int-8/2019 दिनांक 28.07.2020.	आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	
6.	मै. ओससुम हैल्थ केयर प्रा. लिं., प्लॉट सं. J1101, रोहन वसन्ता अपार्टमेंट्स मरथहल्ली, रेल्वे ब्रिज के निकट बैंगलोर-560037.		फ़ा सं. DRI/HZU/ VJRU/KSRU/26/ENQ -17 (Int-06)/2019 दिनांक 06.07.2020.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बैंगलुरु. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-व्हाइट फील्ड, बैंगलुरु. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-I, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई.
7.	मै. हॉर्स पावर फीड & सप्लिमेंट एलएलपी, प्लॉट सं. 5 फ़ाइनल प्लॉट सं. 8-9-40, हासपसर इंडस्ट्रियल टाउन		फ़ा सं. DRI/HZU/ VJRU/KSRU/26/ENQ -16 (Int-06)/2019 दिनांक 15.06.2020.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-I, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-I, जवाहरलाल नेहरू

प्लानिंग स्कीम, रामटेकड़ी, पुणे, महाराष्ट्र-411013.		संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई	कस्टम हाउस, रायगढ़.
---	--	---	------------------------

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-26/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें